न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 71/2023

उनवान

1– मनभर पुत्री देवा गुर्जर निवासी मालीखेड़ा तहसील शाहपुरा
2– रामरतन पिता हजारी गुर्जर निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
3–4 लादु, मु.हीरा पिता देवा गुर्जर निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
5–6 महावीर, रामकिशन पिता रामरतन गुर्जर निवासी माली खेड़ा तहसील शा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– मु. मानी देवी पत्नी रामकरण निवासी टोंपा तहसील शाहपुरा
2– कालुराम पिता जगदीश जाट निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा
3– कालु पिता बालु गुर्जर निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
4– कालु पिता लादु गुर्जर निवासी बालापुरा(रायनर) तहसील शाहपुरा
5– हरदेव पिता कजोड़ गुर्जर निवासी रहड़ तहसील शाहपुरा
6–7 खाना, गंगाराम पिता रूपा माली निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
8– गोपाल पिता लादु गुर्जर निवासी बालापुरा(रायनगर) तहसील शाहपुरा
9– घीसालाल पिता माधु माली निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
10– छोटू पिता रूपा माली निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
11– देवकरण पिता लादु माली निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
12– बदरी पिता बालु माली निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
13– मूलचंद पिता लादुलाल गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील शाहपुरा
14– सूरता पिता हजारी गुर्जर निवासी माली खेड़ा तहसील शाहपुरा
15– सोजीराम पिता लादुराम गुर्जर निवासी बालापुरा(रायनगर) तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री अक्षयराज रेवारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 01/01/2024

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **रहड़ पटवार हल्का रहड़** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 1347 रकबा 0.92 है0, 1345 रकबा 0.64 है0, 1346 रकबा 0.64 है0** कुल किता **3** रकबा **2.20** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 15** बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 5** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रहड़ पटवार हल्का रहड़ संवत 2076 से 2079** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः **प्रार्थीगण** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रहड़** में स्थित प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् किता **3 रकबा 2.20 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 900/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **01/01/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–शाहपुरा (राज.)

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा